

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी :- श्री लक्ष्मीनारायण
किस्म मुकदमा - 136 भू.रा.अधि.

विपक्षी :- राज्य
पत्रावली संख्या : 123/24
जीसीएमएस : 2024/485

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हराबार पट्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 30.01.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा 50 पचास रूपये स्टाम्प पर भेरूलाल, किशनलाल, रामलाल, सत्यनारायण, भंवरलाल, संतोष, मुकेशचन्द्र, लक्ष्मीनारायण के शपथ पत्र पेश किये। शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम लक्ष्मीलाल पिता गेहरीलाल ब्राह्मण गलत अंकित होना बताया जिसे दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में 50/- रूपये स्टाम्प पर भेरूलाल, किशनलाल, रामलाल, सत्यनारायण, भंवरलाल, संतोष, मुकेशचन्द्र, लक्ष्मीनारायण के शपथ पत्र, आधार कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, ग्राम पंचायत जावड द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 09.09.2024 प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में प्रार्थी का नाम लक्ष्मीनारायण पिता गेहरीलाल अंकित है। तहसीलदार घासा द्वारा भी रिपोर्ट पेश कर लक्ष्मीलाल पिता गेहरीलाल एवं लक्ष्मीनारायण पिता गेहरीलाल दोनो एक ही व्यक्ति होना बताया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार घासा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :—</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड तह. घासा की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 345, 415, 362, 332, 254, 135, 183 भूमि में खातेदार लक्ष्मीलाल पिता गेहरीलाल के बजाय लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मीनारायण पिता गेहरीलाल संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी मावली</p>	

